अनुज्ञा पत्र

कार्यालय, जिला पंचायत,जालौन

दिनांक: 05-01-2026

पत्रांक: 972 /मानचित्र/जि0पं0जा0/2025-26

श्री हाकिम सिंह,
पुत्र श्री किशोरीलाल यादव,
नि0-राजेन्द्र नगर उरई ,जला जालौन

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक-26.8.2025 के कम में मानचित्र ग्राम व मौजा अमगुवां विकास खण्ड डकोर तहसील उरई में व्यवसायिक फाउण्टेन हेड पब्लिक स्कूल हेतु खसरा सं0/भू खण्ड संख्या-452/4 रकबा 1.669 हे0 के अंशभाग रकबा 0.810 हे0 भूमि पर 7858.94 वर्गमीटर में विद्यालय के मानचित्र को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त व्यवसायिक भवन का प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धो/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1- प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन का निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरिया 5216.73 वर्गमीटर में ही कराया जाये।

2- प्रतिबन्ध रहेगा कि नेशनल बिल्डिंग कोड, 2005 के प्राविधान एवं अन्य सुसंगत गाईड लाईन में दिये गये प्राविधानों का शत-प्रतिशत पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

3- प्रतिबन्ध रहेगा कि अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार फायर सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य होगा।

4- प्रतिबन्ध रहेगा कि लो एवं मीडियम वोल्टेज लाइन तथा सर्विस लाइन से उर्ध्वाकार एवं क्षैतिज दूरी कमशः 2.4 मीटर व 1.5 मीटर जबकि हाई वोल्टेज लाइन (33 हजार वोल्टेज तक) से उर्ध्वाकार एवं क्षैतिज दूरी कमशः 3.7 मीटर व 1.8 मीटर रखना अनिवार्य होगा।

5- प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन एवं पक्की सड़को के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा साथ ही 1000 वर्गमीटर से अधिक भू-आच्छादन पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य होगा।

6- प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत भवन में सीवरेज निस्तारण एवं ठोस कचरा प्रबन्धन की व्यवस्था भू-स्वामी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

7- प्रतिबन्ध रहेगा कि प्रस्तावित भू-खण्ड की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

8- प्रतिबन्ध रहेगा कि उपविधि के अधीन अनुज्ञा पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये वैध एवं मान्य होगी। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, जालौन से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

9- प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन मानचित्र में दर्शित विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था एवं पार्किंग आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

10- प्रतिबन्ध रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।

11 प्रतिबन्ध रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम-7 यथावत् लागू रहेंगे अथवा मुख्य सड़क एवं आंतरिक सड़क की न्यूनतम चौड़ाई मानक के अनुसार होनी चाहिये।

12 प्रतिबन्ध रहेगा कि बिना किसी पूर्व सूचना के स्वीकृत मानचित्र/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

13- प्रतिबन्ध रहेगा कि अनुमोदित भवन मानचित्र किसी भी दशा में भू-स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

14- प्रतिबन्ध रहेगा कि पंजीकृत आर्किटेक्ट की देख रेख में ही निर्माण कार्य कराया जाये एवं सुरक्षित निर्माण की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

15- प्रतिबन्ध रहेगा कि प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन विभागों से जिनसे लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है,उनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

16- प्रतिबन्ध रहेगा कि अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि निर्गित भवन निर्माण मानचित्र/नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है, अथवा उसके द्वारा गलत विवरण दिया गया है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गई मानचित्र/नक्शा स्वीकृति निरस्त करते हुये भवन निर्माण सील/ध्वस्त कराया जा सकता है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, जालौन

पृष्ठांकन संख्या तद्‌दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि:- श्रम प्रर्वतन अधिकारी जालौन स्थान उरई को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लखनऊ के खाता में भवन स्वामी द्वारा आगणन धनराशि का 1 प्रतिशत रू0-5,79,500.00/- बैंक द्वारा के माध्यम से जमा करा दिया गया है। रसीद की छायाप्रति सलग्न है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, जालौन

Manager
Fountainhead Public Schoo
Amguan (Jalaun)

Principal
Fountainhead Public School
Amguwan Grai(Jalaun)